

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग,  
दाऊ कल्याण सिंह भवन  
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 260/265/वित्त/नियम/चार/2007,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 31.08.2007

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय: -राज्य शासन के पेंशनरों को दिनांक 01.09.2007 से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।**


राज्य शासन द्वारा विभाग के ज्ञापन क्रमांक 90/116/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 19.4.2007 से अपने पेंशन भोगियों के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को दिनांक 1.4.2007 से महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन के रूप में परिवर्तित करने एवं पेंशन तथा महंगाई पेंशन /परिवार पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये हैं ।

2. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनरों को प्राप्त हो रही महंगाई राहत को उपरोक्त वर्णित ज्ञापन दिनांक 19.4.2007 में स्वीकृत दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर दिनांक 1.9.2007 से (माह सितंबर 2007 की पेंशन जो माह अक्टूबर 2007 में देय हो) 26 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की जाये ।

3. उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी [Superannuation] सेवानिवृत्त [Retiring] असमर्थता [Invalid] तथा क्षतिपूर्ति [Compensation] पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता [Compensation Allowance] पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत की पात्रता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी/43/76/नि-2/चार, दिनांक 5.10.1976 के प्रतिबंधों के अधीन होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हैं, वहां वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007 दिनांक 24.7.2007 के तहत महंगाई राहत के पात्र परिवार पेंशनरों को छोड़कर पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी-6/10/76/नि-2/चार, दिनांक 27.7.1976 सहपठित ज्ञापन क्रमांक एफ-बी/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2.5.1977 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4. ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकरण [Commute] कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।
5. महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।
6. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उपकोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरोक्त पूर्वानुसार महालेखाकार छत्तीसगढ़ से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जावे । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Government of Chhattisgarh  
Department of Finance and Planning  
Dau Kalyan Singh Bhavan,  
Mantralaya Raipur

No. 260 /265/F/R/IV/2007,

Raipur, Dated 31-08-2007

To,

All Department of Government  
President Board of Revenue, Bilaspur  
All Heads of Department  
All Regional Development Commissioners  
All Collectors  
Chhattisgarh

Sub:- Grant of Dearness Relief to State Government Pensioners  
w.e.f.01.09.2007

---000---

The State Government have decided to convert Dearness Relief equal to 50% of basic pension into Dearness Pension/Family Pension and to sanction 20% dearness relief on basic Pension and Dearness Pension/Family Pension with effect from 1.4.2007 vide their circular no.90/116/Fin/Rule/IV/2007 dated 19.4.2007.

2- The State Government is pleased to decide that Dearness Relief shall be paid to the State Government Pensioners/Family pensioners at the rate of 26% w.e.f.01.09.2007(Pension for the month of September 2007 payable in October,2007) in supersession of the rate mentioned in the circular dated 19.4.2007 referred to above.

3- The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/R-II/IV dated,5.10.76 . The dearness relief on the Pension /Family Pension shall not be payable in cases where the pensioners/Family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institution except the family pensioners who are entitled for dearness relief vide Finance Department Memo No.211/379/F/R/IV/2007


dated 24.7.2007. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No.F.B.6/10/76/R-11/IV,dated 27.7.76 read with Memo No.F.B.6/10/77/R-11/IV,dated 2.5.77.

4- Pensioners, who have commuted a part of their Pension shall be paid the dearness relief on their original Pension(Pension before Commutation)

5- Payment of dearness relief involving a fraction of rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

6- All Treasury Officers / Sub-Treasury Officers / Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-I. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment of next month.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh



(S.K.Chakraborty)

Deputy Secretary

Government of Chhattisgarh


Finance Department

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकारूण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, पेंशन वितरण बैंकों को क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई 4-1/81/नि-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें, ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.

26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, पांचवीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंचालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.

61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
  62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन,प्लाट नं4,सेक्टर 5 33बी चंडीगढ़ 160047.
  63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
  64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
  65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
  66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
  67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001.
  68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर,श्रीनगर 190001.
  69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
  70. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड,कोहिमा 797001.
  71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
  72. संचालक,लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
  73. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
  74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन,विकास भवन, नई दिल्ली
  75. नियंत्रक लेखा,विदेश मंत्रालय,केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
  76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
  77. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(अमिताभ शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग